मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क.प्राविवि/उशिगायो-9/संविसं/2009/.2083 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः- उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना।

=0=

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वर्ष 2009-2010 में प्रवेश लेने वाले योजना में निर्धारित पात्रता के आधार पर पात्र विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना लागू करती है। उक्त योजना का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

2/- योजना की आवश्यकता:-

राज्य शासन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कॉलेटरल सिक्यूरिटी मांगी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर रूपये 4 लाख तक के ऋण हेतु किसी प्रकार की कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु इससे अधिक राशि के ऋण हेतु बैंक द्वारा कॉलेटरल सिक्यूरिटी लिए जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा उनके पास भूमि, भवन आदि नहीं होने से कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना संभव नहीं होता है। अत: ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारन्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

3/- योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन करने वाले विभाग :-

इस योजना का कियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यकमों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यकमों के विद्यार्थियों हेतु गारंटी दी जावेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों हेतु गारंटी दी जा सकेगी। विभाग-वार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग हेतु निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में अधिसूचित पाठ्यकमों एवं शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण संबंधित विभागों द्वारा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार गारंटी शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यकमों में अध्ययन के लिये ही दी जा सकेगी। परन्तु इसमें पीएच0डी0 के पाठ्यकम शामिल नही होगें। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ऋण गारंटी किसी भी एक पाठ्यकम के लिये एवं एक बार ही दी जा सकेगी।

4/- लाभार्थी :-

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 3 लाख से अधिक नहीं है। संबंधित विद्यार्थी के माता-पिता/पालक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियाँ नहीं है तथा उसके पास उपलब्ध आस्तियों का विवरण शपथ-पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

5/- छानबीन समिति :-

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु इस योजना का कियान्वयन करने वाले विभागों के अन्तर्गत छानबीन समिति का गठन किया जायेगा जो योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार कर गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करेगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करेगें तथा संबंधित विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव

होंगे। विभाग द्वारा छानबीन समिति की बैठक प्रत्येक 3 [illegible] कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

6/- चयन प्रकिया:-

प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्तानुसार गठित छानबीन समिति द्वारा शिक्षा ऋण हेतु गारंटी देने का निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारदर्शी चयन प्रकिया के माध्यम से किया जावेगा। समिति द्वारा चयन करते समय निम्न बिन्दुओं की जांच की जावेगी :–

6.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यकम की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान की मान्यता।

6.3 विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा हायर सेकण्डरी एवं उसके बाद की परीक्षाओं में विद्यार्थी के प्राप्तांकों का प्रतिशत।

6.4 विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति।

6.5 विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये पाठ्यकम में चयन की प्रकिया।

6.6 विद्यार्थी को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन।

विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से गारंटी देने हेतु प्रकरणों का चयन विद्यार्थी के पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

7/- विभाग एवं बैंक का दायित्व:-

7.1 विभाग एवं बैंक का यह दायित्व होगा कि वह उच्च शिक्षा ऋण के विरूद्ध गारंटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यकम में दाखिले के पश्चात प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा करे।

7.2 बैंक द्वारा ऐसे विद्यार्थी हेतु देय शिक्षण शुल्क का निर्गमन सीधे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को किया जायेगा। प्रवेश वर्ष को छोड़कर आगामी वर्षो में शिक्षण शुल्क के भुगतान के पूर्व विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यकम के प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी।

7.3 किसी विद्यार्थी के सेमिस्टर/वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को इन प्रकरणों में निर्गमित ऋण तथा उस पर उक्त दिनांक तक देय ब्याज की राशि (कुल देय राशि) की जानकारी 30 दिवस की समयावधि में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को देनी होगी। बैंक उक्त सूचना के उपरान्त ऋण वसूली की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करेगी तथा राज्य शासन के गारंटी अंतर्गत दायित्वों में बैंक के पास जानकारी

प्राप्त होने के दिनांक के बाद के ब्याज का भार शामिल नहीं होगा। बैंक द्वारा अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त वसूल नही हो सके ऋण एवं ब्याज की राशि की वापिसी की मांग राज्य शासन से करने पर वित्त विभाग द्वारा शुद्ध देय राशि बैंक को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। उक्तानुसार राशि निर्गमन के पश्चात ऐसी गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

7.4 ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य शासन को गारंटी के विरूद्ध बैंक को भुगतान करना पड़ता है वहां ऐसे विद्यार्थी/ अभिभावक से राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राशि की पूर्ण वसूली होने के दिनांक तक, ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर, के ब्याज सहित वसूली योग्य होगी। यह राशि संबंधित प्रशासकीय विभाग, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है, के द्वारा भू-राजस्व की बकाया राशि (arrears of land revenue) के समान वसूली योग्य होगी।

7.5 ऋणप्राप्तकर्ता को यदि केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से ऋण अथवा ब्याज पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है तो उक्त अनुदान की राशि का, ऋण प्राप्तकर्ता की देनदारियों के विरूद्ध समायोजन करने के उपरान्त शेष रही राशि के 80 प्रतिशत तक का भुगतान ही राज्य शासन द्वारा गारंटी के अंतर्गत किया जायेगा।

7.6 बैंक द्वारा विद्यार्थी को गारंटी के विरूद्ध निर्गमित/बकाया ऋण की राशि एवं शेष ब्याज के अद्यतन विवरण प्रत्येक छः माह में एक बार विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें। विभाग द्वारा प्रत्येक गारंटी के विषय में प्रदत्त ऋण, वसूली एवं अद्यतन ब्याज की राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जायेगी तथा उसके आधार पर वित्त विभाग को छःमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8/- गारंटी की निबंध एवं शर्तेः-

8.1 योजना अंतर्गत गारंटी मध्य प्रदेश शासकीय प्रत्याभूति नियम, 1976 के तहत निर्धारित प्रकिया के अनुसार जारी की जायेगी।

8.2 विद्यार्थी को गारंटी के आवेदन के साथ संबंधित बैंक द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि बैंक ने ऋण के विरूद्ध (80 प्रतिशत की सीमा तक) कोई अन्य कॉलेट्रल सिक्यूरिटी (Collateral Security) प्राप्त नहीं की है।

8.3 ऋणी द्वारा ऋण/ब्याज के भुगतान में चूक करने पर प्रथमतः बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी और तत्पश्चात ही अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त शेष बची राशि के लिये राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध मांग करने पर राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

8.4 प्रशासकीय विभाग प्रतिवर्ष योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी की कुल सीमा में प्रकरण वार (विद्यार्थी वार) गारंटी जारी कर सकेगा। विभाग द्वारा ही जारी की गई गारंटी तथा उसके विरूद्ध प्रदत्त ऋण, ब्याज एवं ऋण

को वापसी का लेखा जोखा रखा जायेगा। विभाग निर्धारित प्रपत्र में प्रति छः माह में वित्त विभाग को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

8.5 योजना अंतर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिसूचित देश में स्थित शैक्षणिक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम् रू. 7.50 लाख तथा विदेश में शिक्षा हेतु अधिकतम् रू. 15 लाख तक के ऋण पर गारंटी दी जा सकेगी।

8.6 गारंटी की राशि कुल ऋण तथा उस पर देय ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दर) के 80 प्रतिशत तक की सीमा में रहेगी।

8.7 गारंटी की अवधि ऋण स्वीकृति के समय ऋण चुकारे हेतु निर्धारित की गई अवधि से 6 माह पश्चात तक रहेगी। परन्तु कण्डिका 7.3 एवं 7.5 में उल्लेखित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा बैंक को ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

8.8 योजना में चयनित विद्यार्थी एवं उसके पालकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तथा बैंक से प्राप्त ऋण को मय ब्याज के वापिस करने हेतु एक बंध-पत्र (Bond) निष्पादित करना होगा।

8.9 योजना अंतर्गत जारी गारंटी पर नियमानुसार गारंटी फीस देय होगी।

9/- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी०पी० सिंघल)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. प्राविवि/उशिगायो-9/वंविवि/2009/2084 भोपाल, दिनांक 31.. अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।

11. महाधिवक्ता/उप-महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।

12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।

13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।

14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।

15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।

16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल।

17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी), मंत्रालय, भोपाल।

18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।

19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।

20. क्षैत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।

21. मुख्य ममहाप्रबंधक, नाबार्ड, भोपाल।

22. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल।

23. प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख, भोपाल।

24. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

25. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।

26. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल।

27. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।

28. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(मनीष सिंह)
संचालक
संचालनालय संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश